न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 47 / 2023 **दायर तारीख 25 / 08 / 2023**

अनवान

कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादी
02. पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

:: निर्णय :–

दिनांक : 27/06/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद **अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमृतपुरिया प0ह0 चान्दजी की खेड़ी तत्कालीन समय की तहसील माण्डलगढ उप जिलाधीश माण्डलगढ की अध्यक्षता वाली आवंटन कमेटी ने बिलानाम सिवायचक भूमि स्थित मौजा अमृतपुरिया प0ह0 चान्दजी की खेड़ी में वादी भूमि आवंटन दिनांक 14.07.1982 को आराजी खसरा न0 182 / 165 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वां व खसरा न0 225 / 163 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वादी के भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आने से आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी के हस्ताक्षर है। आवंटन समिति ने वादी के आवेदन पर पटवार हल्का गोपालपुरा व चान्दजी की खेड़ी द्वारा भिजवायी गयी रिपोर्ट अनुसार वादी का आवंटन प्रार्थनापत्र आवंटन हेतु उपयुक्त पाने पर आराजी खसरा नं0 182 / 162 में 2 बीघा 8 बिस्वां के आदेश आवंटन कमेटी ने प्रदान किया। आवंटन आदेश की पालना में वादी को कब्जा सिपूर्द किया। जिस पर वादी के हस्ताक्षर हैं वादी द्वारा आवंटित भूमि को दो साखी उपयोग हेतु चाह का निर्माण करवाया गया जिस पर विद्युत कनेक्शन वादी के नाम का लगा हुआ हैं। उक्त भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज के समय आवंटी का नाम कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द धाकड़ निवासी डोबिया के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया भर दिया गया जो पूर्णत त्रुटीपूर्ण हैं। जबकि कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया नाम का कोई व्यक्ति ग्राम डोबिया में नही हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

अतः वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा अमृतपुरिया प0ह0 चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी खसरा न0 182/165 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा न0 256/165 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर का वादी को कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया के स्थान पर काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

उक्त प्रकरण में विपक्षी पैरोकार सरकार ने पत्रांक/राजस्व/2025/302 दिनांक 20.02.2025 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रकरण संख्या 47/2023 अन्तर्गत धारा 88 राज0टि0एक्ट0 में वादी कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द धाकड निवासी डोबिया बनाम 01. कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड निवासी डोबिया 02. राजस्थान सरकार में जांच रिपोर्ट, मौका पर्चा अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार हैं :–

ग्राम अमृतपुरिया के आराजी नं0 182/165 रकबा 0.3642 है0 किस्म बारानी चतुर्थ एवं आराजी नं0 256/165 रकबा 0.0243 है0 गेमु0 आचा कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड निवासी डोबिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादी ने बताया की आराजी नं0 182/165 में 2.08 बीघा भूमि मुझ प्रार्थी कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड को आवंटित हुई थी लेकिन आवंटन आदेश में कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र धाकड के नाम आदेश जारी हो गया जिसके सम्बंध में जांच की गई । मिसल नं0 920/83 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम अमृतपुरिया के आराजी नं0 182/165 में 2.08 बीघा भूमि आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष दिनांक 21.01.1983 को पेश किया था। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड अंकित हैं एवं रिपोर्ट पटवारी में भी आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड अंकित है। आवंटन सलाहकार समिति के आदेश (सील) में भी आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड दर्ज है। सुपुर्दगीनामा में भी आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड निवासी डोबिया अंकित हैं एवं इकरारनामा में भी आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड दर्ज हैं जिस पर वादी के हस्ताक्षर है लेकिन श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ द्वारा मीसल नं0 920/83 दिनांक 02.04.1983 को आवंटन आदेश में आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र धाकड दर्ज है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में ग्राम अमृतपुरिया में नामा0 संख्या 68 दिनांक 19.04.1983 दर्ज किया गया जिसमें आराजी नं0 182/165 रकबा 2.08 बीघा में आवंटी का नाम कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र धाकड सा0 डोबिया गैर खातेदारी से दर्ज हुआ । आराजी नं0 182/165 में नवीन आचा आ0नं0 256/165 दर्ज हुआ जिसका रकबा 03 बिस्वा बना था। वर्तमान जमाबन्दी में आ0नं0 182/165 रकबा 0.3642 है0 यानि 2.05 बीघा एवं आराजी नं0 256/165 रकबा 0.0243 है0 यानि 03 बिस्वा कुल रकबा 2.08 बीघा बनता है। उक्त प्रकरण के सम्बंध में ग्राम डोबिया के मौतविरान ने बताया कि हमारे गावं में कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र धाकड नाम का कोई व्यक्ति नही हैं ना ही पूर्व में था। ग्राम अमृतपुरिया की आराजी नं0 182/165 व 256/165 पर मौके पर कब्जा व काश्त कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द धाकड निवासी डोबिया का है।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ... पखवाड़ा 2025 बिजौलियाँ

शिविर प्रभारी लगातार पेज संख्या 03 पर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
... पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

सरपंच ग्राम पंचायत गोपालपुरा से भी इस नाम के सम्बंध में जानकारी की गई तो उन्होने बताया की डोबिया में कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र धाकड नाम का कोई व्यक्ति नही है। सरपंच ग्राम पंचायत गोपालपुरा का लेटरपेड सलंग्न है।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये आवास पत्रावली, नकल नामान्तरण, तस्दीक पंचायत असल, वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही हुयें।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा किसी प्रकार के बयान नहीं कराने से प्रकरण को बहस में रखा।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया किया।

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया व वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाना चाहा तथा साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात, नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। वादी के वादपत्र को डिक्री फरमायी जावें।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का विस्तृत विवेचन एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर मौजा अमृतपुरिया प0ह0 चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी खसरा न0 182/165 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा न0 256/165 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर का वादी कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द धाकड़ निवासी डोबिया को कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार वादी के हिस्से को राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री मुर्तिब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 47/2023 दायर तारीख 25/08/2023

अनवान

कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........डिक्रीदार

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

..........मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 27/06/2025

डिक्री दिनांक : 27/06/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य एवं पैरोकार सरकार को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद पत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर मौजा अमृतपुरिया प0ह0 चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी खसरा न0 182/165 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा न0 256/165 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3885 हैक्टेयर का वादी कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द धाकड़ निवासी डोबिया को कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र धाकड़ निवासी डोबिया के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार वादी के हिस्से को राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री मुर्तिब हों।

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 06 वर्ष 2025 को जारी किया गया।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ